an>

Title: Need to construct a sluice gate on Kutku dam on Bihar-Jharkhand border.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) ः बिहार-झारखण्ड की अन्तर्राज्जीय सिंचाई परियोजना, योजना के अंतर्गत कुटकु बांध (मंडल डैम) में लोहे का गेट अधिष्ठापित कराने पर वर्ष 2007 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रोक लगा दी गई है, जबकि इस परियोजना का कार्यारंभ 1975 में मात्र 30 करोड़ रूपये की प्राक्कलन राशि से हुआ। अनावश्यक प्रतिबंध और विलंब के कारण उक्त परियोजना पर हज़ारों करोड़ रूपए की राशि का अपव्यय हुआ।

बांध बैराज, मुख्य नहर शाखा और नहर से पूर्व निर्मित है, परंतु फाटक (गेट) का निर्माण कार्य संपन्न नहीं होने के कारण बांध में जल जमाव नहीं होने के कारण बिहार-झारखण्ड के अति पिछड़ा और उग्रवाद प्रभावित जिला पलामू, औरंगाबाद और गया के 1.24 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित है और इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का भीषण संकट है। इस मामले में वर्तमान लोकप्रिय सरकार का सहयोग अति लोकहित में होगा।

उपर्युक्त विषय के संबंध में केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुटकु (मंडल) डैम में लोहे का फाटक लगाने की अनुमति प्रदान की जाये ताकि इस क्षेत्र के लगभग 25 लाख किसानों एवं कृषि श्रमिकों को लाभ मिल सके और कृषि उत्पादन के साथ-साथ पेयजल संकट का निराकरण हो सके।